यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, ''यमुना भवन'', यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या : 3347 / यूजेवीएन लि / 05 / कार्मिक / अनु0–3 / एम–4 / सिनर्जी कैशलैस दिनांक 27/05/2017

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) के अर्न्तगत चिकित्सालय में भर्ती हो कर कराये गये उन रोगों (सम्बन्धित आयकर आयुक्त द्वारा चिकित्सालय को निर्गत आयकर छूट प्रमाण पत्र में उल्लिखित बीमारियों हेतु) सिनर्जी इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज, बल्लूपुर, कैनाल रोड, देहरादून को आदेश सं0 4074 / यूजेवीएन लि / 05 / कार्मिक / अनु0–3 / एम–4 दिनांक 05.07.2016 द्वारा प्रदान की गई मान्यता (मान्यता अवधि दिनांक 01.05.2016 से 30.04.2018 तक की अवधि हेतु) के अनुक्रम में पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) पर उपचार करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ मान्यता प्रदान की जाती हैं:–

1. उक्त चिकित्सालय द्वारा क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) लागू किये जाने पर पूर्व से लागू दर सूची (जो कि मान्यता अवधि में पुनरीक्षित नहीं होगी) पर **15 (पन्द्रह) प्रतिशत** छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पैकेज, दवाईयों, कन्ज्यूमेबल तथा इम्प्लान्ट के बीजकों पर कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
2. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) केवल चिकित्सालय में भर्ती हो कर कराये गये उन रोगों, जिनका उल्लेख सम्बन्धित आयकर आयुक्त द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालय को निर्गत किये गये आयकर छूट प्रमाण पत्र (उपायुक्त आयकर नई दिल्ली द्वारा आयकर विमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत हैं, जिसकी अवधि 05.05.2016 से 04.05.2019 तक हैं) में हैं, के उपचार कराने हेतु ही मान्य होगी।
3. ओ0पी0डी0 अथवा डे–केयर में कराये गये उपचारों के मामलों में उक्त क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) अनुमन्य नहीं होगी।
4. हृदय रोग में एन्जियोग्राफी, टी0बी0, कैंसर, किडनी, प्रोस्टेट, लीवर फंक्शन रोगों के ईलाज हेतु भर्ती होने से पूर्व परीक्षण में होने वाले व्यय को चिकित्सालय बीजक में उसी स्थिति में सम्मिलित किया जा सकेगा कि परीक्षण भर्ती वाली दिनांक को ही हुए हो, जिसका विवरण चिकित्सालय को स्पष्ट रूप से बीजक में उल्लिखित करना होगा। भर्ती होने की दशा में भर्ती पूर्व परामर्श शुल्क देय नहीं होगा।
5. इम्प्लान्ट स्थापित होने की स्थिति में केवल भारतीय इम्प्लान्ट की सुविधा ही देय होगी। आयातित इम्प्लान्ट एवं भारतीय इम्प्लान्ट के अन्तर की राशि को सम्बन्धित रोगी अथवा कार्मिक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
6. चिकित्सालय बीजक में कोई भी भोजन, टानिक, पौष्टिक आहार एवं प्रसाधन सामग्री सम्मिलित नहीं की जायेगी। उक्त से सम्बन्धित राशि रोगी / कार्मिक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज के स्वयं के व्यय पर खरीद कर मंगाई जा सकती हैं अथवा इस हेतु चिकित्सालय प्रबन्धन यदि चाहे तो रोगी / कार्मिक से एक मुश्त राशि जमा करा सकता हैं। चिकित्सालय द्वारा जो सामग्री चिकित्सालय बीजक में सम्मिलित नहीं की जायेगी, से सम्बन्धित अनुसूचियां संलग्न की जा रही हैं:–

क–Schedule 1 (Enclosed)

PREPARATIONS CLASSIFIED AS FOOD

a. Invalid Food
b. Baby Food
c. Weaning Foods
d. Glucose Preparations
e. Liquid Food and Wines
f. Meat Extracts and Juices

AE(RD) Pl. upload on website
5/6/17
SM(IT)

g. Carbonated/Flavoured/Sweetened Beverages
h. Protein-Biscuits
i. Miscellaneous Preparations

PREPARATIONS COMMONLY USED AS TONICS

a. Tonics

TOILET PREPARATIONS

DISNEFCTANTS

Preparations normally used for Toilet Purpose

ख– Annexure I (Enclosed)

NON MEDICAL EXPENSES

7. उपचार के उपरान्त चिकित्सालय से अवमुक्त होने पर रोगी को आवश्यक होने पर अधिकतम पन्द्रह (15) दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य कराई जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।

8. यदि किसी रोग विशेष में पैकेज सुविधा उपलब्ध हो और पैकेज दर सामान्य चिकित्सा दरों से कम हो तो ऐसी स्थिति में यथा सम्भव पैकेज सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी एवं उसका विस्तृत बिल (Detailed Bill) चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

9. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) को लागू किये जाने हेतु यूजेवीएन लि0 द्वारा हैल्थ कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं, जिस पर सम्बन्धित कार्मिक के साथ–साथ उसके आश्रित परिजनों का नाम, जन्म तिथि, कार्मिक से सम्बन्ध एवं फोटो अंकित होगी, को चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा। हैल्थ कार्ड निर्गत न हो पाने तक कार्मिक को सम्बन्धित कार्यालय से अपनी पहचान सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में प्राधिकार पत्र (Authorisation Slip) निर्गत करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें। उक्त प्राधिकार पत्र (Authorisation Slip) निर्गत करने पर प्राधिकार निम्नानुसार होगाः–

   1. देहरादून मुख्यालय, भागीरथी वैली–उत्तरकाशी, गंगा वैली–हरिद्वार एवं परिचालित/निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनर हेतु प्राधिकार पत्र (Authorisation Slip) देहरादून मुख्यालय पर तैनात डा0 रेखा कनौजिया, चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
   2. यमुना वैली–डाकपत्थर क्षेत्र में स्थित समस्त परिचालित/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य समस्त कार्यालयों से सम्बन्धित सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनर हेतु प्राधिकार पत्र (Authorisation Slip) डाकपत्थर मुख्यालय पर तैनात डा0 अरूण कनौजिया, चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

10. किसी भी सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा पारिवारिक पेंशनर द्वारा किसी भी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना देकर चिकित्सालय में क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) का लाभ लेकर कराई गई चिकित्सा हेतु सम्बन्धित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा, जिस पर हुए समस्त व्यय की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से करते हुए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

11. इलाज पूर्ण हो जाने पर डिस्चार्ज के उपरान्त सिनर्जी इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज, बल्लूपुर, कैनाल रोड, देहरादून के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक के हस्ताक्षरों सहित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सालय को उपलब्ध कराये गये प्राधिकार पत्र (Authorisation Slip) एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों सहित अधिकृत चिकित्सक के सत्यापन के उपरान्त विस्तृत बीजक (Detailed Bill) उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लि0, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून को उपलब्ध कराये जायेगें।

12. सिनर्जी इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज, बल्लूपुर, कैनाल रोड, देहरादून द्वारा उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लि0, यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून को प्रेषित बीजकों के प्राप्त होने के दिनांक से 60 (साठ) दिनों के भीतर चिकित्सालय को भुगतान किया जायेगा।

13. किसी भी कार्मिक को क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) प्राप्त करने की स्थिति में चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।